न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 32/2022 G.C.M.S. No. 2022/72 दर्ज दिनांक : 25.03.2022

अपीलार्थिगण:

1. डुंगराराम पुत्र श्री नारणा कलबी, जाति कलबी, निवासी वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पुरखा पुत्र गणेशा जाति चौधरी, निवासी देवता का गोलिया, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।
2. श्रीमती बादली देवी पत्नि भीमाराम, जाति पुरोहित, निवासी लुणवाजागीर, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।
3. श्रीमती रूपीदेवी पत्नि बलवंतराम, निवासी वाटेरा, निवासी लुणवाजागीर, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।
4. राजस्थान राज्य तहसीलदार बागोड़ा, जिला जालोर।
5. भूराराम पुत्र सवाराम
6. मोटाराम पुत्र सवाराम, जाति कलबी, निवासी वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर (राज.)
7. अशोककुमार पुत्र वजाराम
8. गौतमकुमार पुत्र वजाराम
9. दिनेशकुमार पुत्र वजाराम
10. हगता पुत्र वजाराम
11. पाबुदेवी पत्नि वजाराम तमाम जातिगण पुरोहित, निवासी वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।
12. केवु देवी पत्नि श्री बादरा
13. फुलाराम पुत्र बादरा
14. वालाराम पुत्र बादरा, तमाम जातिगण पुरोहित, निवासी वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।
15. देवजी पुत्र गणेशाराम
16. बादरा पुत्र वदा
17. मफराराम पुत्र पांचा
18. मोतीलाल पुत्र पांचा
19. मोबता पुत्र पांचा, तमाम जातिगण पुरोहित, निवासी वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।
20. देवाराम पुत्र प्रागराम
21. मोतीराम पुत्र प्रागराम, जातिगण चौधरी, निवासी वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।
22. सावलराम पुत्र पांचाराम, जाति भील, निवासी वाटेरा, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बागोड़ा, निर्णय दिनांक 26.10.2021 राजस्व विविध संख्या 01/2017 बअनवान डूंगराराम बनाम पुरखा एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री सुरेन्द्र चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराडा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक : 25.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बागोड़ा के राजस्व विविध संख्या 01/2017 बअनवान डूंगराराम बनाम पुरखा में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वयं की जोत के खसरा संख्या 56 रकबा 4.92 हैक्टेयर भूमि में प्रवेश हेतु खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 में प्रवेश हेतु पश्चिम की तरफ से रेकर्डेड रास्ता खसरा संख्या 42 ग्राम देवदा का गोलिया में से अपीलांट के ग्राम वाटेरा के सरहद के खसरा संख्या में पहुंच हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जोकि न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। चूंकि ग्राम देवदा का गोलिया में गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 42 रेकर्ड के अनुसार दर्ज है तथा अपीलांट के खसरा संख्या 56 व उक्त गैर मुमकिन रास्ते के बीच में खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 स्थित है। उक्त रास्ते की दूरी 200 मीटर है तथा नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार 4 मीटर चौड़े रास्ते की मांग की गई हैं। उक्त रास्ता जिसकी अपीलांट द्वारा मांग की गई हैं, वह नजदीक है, कम खर्चीला है, सीधा रास्ता है एवं सुलभ है। इस कारण उक्त रास्ता अपीलांट को दिया जाना न्यायोचित था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं किया गया। इसके साथ ही दिनांक 08.09.2019 को जो मौका रिपोर्ट पेश की गई, वह रिपोर्ट रास्ता दिये जाने के अनुकूल थीं तथा उक्त रिपोर्ट सही एवं पूर्ण थीं। परंतु रेस्पोंडेंट द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए आर.आई हल्का पटवारी तथा नायब तहसीलदार से मिलकर पुनः झूठी व मनगढ़ंत मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2021 को तैयार करवाकर पेश की गई तथा इस रिपोर्ट के अनुसार रास्ता खसरा संख्या 56 में पहुंचने हेतु अपीलांट की भूमि में पहुंचने हेतु खसरा संख्या 55, 52, 51, 42 एवं 72 में रास्ता बताया गया है तथा नजरी नक्शे में मार्क एम.एल.के.जे.आई.एच दर्शाया गया है। उक्त रिपोर्ट में दर्ज रास्ता मौके पर नहीं हैं एवं खसरा संख्या 55 के मध्य में रास्ता होना दर्शाया गया है। उक्त रिपोर्ट बिना खातेदारों के तैयार कर पेश की गई हैं एवं इन खसरान के खातेदारों के हस्ताक्षर रिपोर्ट पर नहीं हैं एवं न ही उनकी ओर से कोई सहमति पत्रावली में प्रस्तुत की गई हैं तथा न उनको बुलाकर उनका शपथपत्र न्यायालय में पेश किया गया है कि खसरा संख्या 55, 52, 51, 53, 42 व 72 में रास्ता उपलब्ध है व मौके पर आलामात है। जबकि उक्त व्यक्तियों की उपस्थिति ही रिपोर्ट निर्मितकर्ता के पास उपलब्ध नहीं थीं तो बिना रेकर्ड में दर्ज हुए रास्ता बताये जाने का अधिकार भी नायब तहसीलदार को नहीं था। इसके अतिरिक्त दिनांक 08.02.2019 को जो रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार की गई हैं, इस रिपोर्ट में मार्क ए, बी रास्ता दर्शाया गया है तथा मार्क सी व डी छीणों का छपरा बताया गया है। उक्त छपरा प्रकरण दर्ज होने के बाद छीणे खड़ी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अस्थाई बनाया गया है, जबकि मौके पर उक्त भूमि खाली है व स्थाई निवास व ढ़ाणी नहीं हैं। इस कारण से खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 जो ग्राम देवदा का गोलिया में स्थित है, के दक्षिण की तरफ रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत था, यदि न्यायालय दक्षिण में रास्ता दिये जाने की स्थिति में नहीं पहुंचता तो उत्तर की तरफ भी रास्ता दिये जाने का विकल्प अधीनस्थ न्यायालय के पास उपलब्ध था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को भी दरकिनार कर दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कहा है कि खसरा संख्या 56 के सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। चूंकि अपीलांट द्वारा जो रास्ते की मांग की गई हैं वह खसरा संख्या 56 में आवागमन के लिए मांग की गई हैं तथा रकम भी अपीलांट अदायगी हेतु तैयार रहा है तथा आर.आई द्वारा दिनांक 01.02.2019 को जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट में रकम भी दर्शाई गई है एवं अपीलांट द्वारा रकम अदायगी से इंकार भी नहीं किया गया है, आवागमन खसरा संख्या 56 में सहखातेदारों का भी रहेगा। परंतु पक्षकार नहीं बनाने से सहखातेदारों को क्षति नहीं हैं, इस कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र पूर्णतया पोषणीय था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नजदीकी, सरल–सुलभ रास्ता प्रदान ना करते हुए, षड़यंत्रपूर्वक निर्मित एवं एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानकर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.10.2021 की जानकारी दिनांक 31.01.2022 को हुई। निर्णय कैम्प में पारित किया गया था, जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं थीं एवं न ही दोनों पक्षों के मध्य सहमति थीं। अपीलांट द्वारा दिनांक 31.01.2022 को अधिवक्ता से संपर्क करने पर जानकारी हुई। उसी दिन नकल प्राप्त की। इसी दरम्यान कोविड–19 महामारी के कारण राजस्व न्यायालय बंद रहें। इसके बाद अपील पेश की गई। अतः अपीलांट ने जानबूझकर लापरवाही नहीं बरती हैं। देरी युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें आदि। इस पर म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा उस पर मनन किया गया। हमनें अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा की पत्रावली एवं इन पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. चूंकि अपीलांट प्रार्थी द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्यतया यह निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.10.2021 को कैम्प में पारित किया गया था, जिसकी अपीलांट को जानकारी नहीं थीं एवं न ही दोनों पक्षों के मध्य सहमति थीं। अपीलांट द्वारा दिनांक 31.01.2022 को अधिवक्ता से संपर्क करने पर जानकारी हुई। उसी दिन नकल प्राप्त की। इसी दरम्यान

राजस्व ... पाली

कोविड–19 महामारी के कारण राजस्व न्यायालय बंद रहें। इसके बाद अपील पेश की गई। अतः अपीलांट ने जानबूझकर लापरवाही नहीं बरती हैं। देरी युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें। जबकि अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रार्थी के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए विलंब को अपीलांट की लापरवाही के कारण होना, निवेदन किया।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील लगभग 68 दिन के विलंब से प्रस्तुत हुई हैं। जिसे दीर्घ विलंब नहीं माना जा सकता एवं तत्समय कोविड महामारी के कारण न्यायिक कार्य भी बाधित रहे हैं। अतः प्रकरण को कठोर तकनीकी प्रक्रियात्मक आधार के बजाय गुणावगुण के आधार पर एवं पक्षकार को सुने जाने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए विलंब के कारणों को सद्भाविक मानते हुए विलंबकाल माफ किया जाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट बादलीदेवी, रूपीदेवी व पुरखा के विरूद्ध धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत ग्राम देवदा का गोलिया के गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 42 से उसकी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 56 तक पहुंच के लिए रास्ते हेतु बीच में आने वाले खेत खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 में से 4 मीटर चौडा व 200 मीटर लंबा रास्ता प्रदान किया जावें। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.10.2021 द्वारा खारिज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में खसरा संख्या 56 के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश खारिज किया जाकर अपीलांट को खसरा संख्या 56 के पश्चिम की तरफ खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 में रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 56 ग्राम वाटेरा अपीलांट प्रार्थी डुंगराराम की सहखातेदारी आराजी है। भू–नक्शा अनुसार उक्त खसरा संख्या से लगता हुआ कोई अभिलिखित गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं हैं।

5. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त किया गया एवं तहसीलदार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किए गए।

6. प्रकरण में प्रथम जांच प्रतिवेदन न्यायालय के आदेश से भू–अभिलेख निरीक्षक बागोड़ा व पटवारी रावता/देवडा का गोलिया द्वारा दिनांक 21.03.2017 को तैयार कर न्यायालय में प्रेषित की गई, जिसके अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 56 से लगता हुआ कोई अभिलिखित रास्ता नहीं हैं। खसरा संख्या 56 से एक कच्चा रास्ता ग्राम वाटेरा को जाता है। जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 में से प्रस्तावित रास्ते के मध्य छीणे रोपकर कमरानुमा ढ़ांचा बनाया गया है। खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 से होकर खसरा संख्या 56 तक पगडंडी चलती थीं। जो मौके पर बंद है।

7. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बागोड़ा से पुनः जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बागोड़ा एवं आई.एल.आर. बागोड़ा द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी

दिनांक 01.02.2019 को तैयार एवं पत्रांक 199 दिनांक 08.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 56 तक पहुंच के लिए निकटतम रास्ता खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 की आराजी में से जोकि आगे चलकर खसरा संख्या 42 गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक तक पहुंचता है। जिसकी कुल दूरी खसरा संख्या 4 में 272 वर्गमीटर, खसरा संख्या 3 में 144, खसरा संख्या 2 में 224 व खसरा संख्या 1 में 400 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए प्रस्तावित की गई हैं। जिनमें खसरा संख्या 2 व 1 में मेड़ के सहारे छीणों का छपरा होने से उसे छोड़ते हुए रास्ता प्रस्तावित किया गया।

8. पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार बागोड़ा द्वारा दिनांक 09.09.2021 को तैयार व प्रेषित जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं न्यूनतम एवं निकटतम दूरी के बिन्दुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रेषित नहीं की हैं, लेकिन इससे इतर रिकॉर्ड में अभिलिखित रास्ता नहीं होने के बावजूद प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच के लिए पड़ोसी खातेदारान के खेत में से चलायमान रास्ता अंकित करते हुए रास्ते की समस्या नहीं होना अंकित किया है। उक्त जांच प्रतिवेदन विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण स्वीकार एवं समर्थन योग्य नहीं हैं।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2021 द्वारा अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस अंकन के साथ खारिज कर दिया गया कि "पत्रावली पर मौजूद मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आवागमन हेतु मौजा वाटेरा की सरहद से एक रास्ता विद्यमान है, जिससे अन्य खातेदार भी आवागमन करते हैं एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी आराजी में मौके पर वैकल्पिक रास्ता आवागमन के लिए उपलब्ध है तो वह अन्य रास्ता पाने का अधिकारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नया रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।"

10. उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि यह सुस्थापित है कि सभी खेतों के लिए अभिलिखित रास्ता कभी–भी उपलब्ध नहीं रहा है तथा प्राचीन समय से ही काश्तकार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य काश्तकारान के खेतों में से आवागमन करते रहे हैं। लेकिन समय के साथ ऐसी पगडंडियां एवं मौके पर आवागमन स्थल भू–अभिलेख में अभिलिखित रास्ता नहीं होने तथा किसी काश्तकार की खातेदारी भूमि होने के कारण ऐसे खातेदारों द्वारा ऐसी गैर अभिलिखित पगडंडियों एवं चलायमान रास्तों को बंद किया जाने लगा या उन पर काश्त की जाने लगी। जिससे आगे के काश्तकारों को अपने पशुधन, कृषि उपज, हल एवं अन्य यंत्रों को लाने ले जाने के लिए भारी असुविधा होने लगी तथा काश्तकारों के मध्य विवाद बढ़ने लगे। जिसके समाधान के लिए एवं काश्तकारों को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को देखते हुए रास्ता प्रदान करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन किया जाकर नवीन धारा 251 (क) शामिल की गई एवं नवीन नियम 68, 69 व 70 अधिसूचित किए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाकर युक्तियुक्तता के आधार पर 90 दिवस के भीतर रास्ते संबंधी प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की अपेक्षा की गई।

11. धारा 251 (क) में मूल रूप से निम्नलिखित आवश्यक मूल तत्व है –

1. **रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं अभाव सिद्ध होना** – किसी काश्तकार को उक्त धारा के अंतर्गत रास्ता तभी दिया जा सकता है जब उसकी जोत तक पहुंच के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हों तथा काश्तकार द्वारा रास्ते के लिए की गई मांग आत्यांतिक हों। रास्ता केवल सुविधा के लिए नहीं दिया जा सकता। रास्ते के अभाव से तात्पर्य यह है कि काश्तकार की जोत तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता दर्ज एवं उपलब्ध नहीं हों। यदि रास्ता दर्ज हों, लेकिन मौके पर बंद हों तो धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती हैं। अभिलिखित रास्ता नहीं होने के बावजूद भू–अभिलेख निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में यह अंकित करना कि काश्तकार मौके पर पड़ोसी खेतों से होते हुए अपने खेत तक पहुंच सकता है तथा इसलिए रास्ते का अभाव नहीं हैं। ऐसी टिप्पणियां व जांच रिपोर्ट निहायत विधिविरूद्ध, गैर जरूरी, संबंधित कार्मिकों की विधिक अज्ञानता एवं काश्तकारी अधिनियम की संशोधन की मूल भावना के विपरीत होती हैं तथा इन्हें किसी भी दृष्टि से अनुमत एवं स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

2. **निकटतम दूरी एवं न्यूनतम रकबा** – काश्तकार की जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ते से निकटतम दूरी का विकल्प स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित काश्तकार का न्यूनतम रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किया जा सकें। इस हेतु संबंधित जांच अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी की जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ते से सभी संभव विकल्प प्रस्तावित किये जाने चाहिए तथा ऐसे विकल्प अलग–अलग रंग, रास्ते के लिए प्रस्तावित आवश्यक लंबाई–चौड़ाई व कुल रकबा अंकित किया जाना चाहिए।

12. हस्तगत प्रकरण में जांच प्रतिवेदन से यह सुस्पष्ट है कि प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 56 तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता नहीं हैं तथा खसरा संख्या 52 जोकि निकटतम अभिलिखित रास्ता है, से प्रार्थी अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 56 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 1, 2, 3 व 4 की मेड़ के सहारे प्रस्तावित विकल्प न्यूनतम दूरी एवं निकटतम रकबा के आधार पर उपयुक्त है। यदि अप्रार्थी खातेदार द्वारा ऐसे प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरंचना निर्मित कर दी गई हो तो प्रार्थना पत्र दर्ज होने के पश्चात निर्मित करने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय उन्हें प्रार्थी के खर्चे पर हटाने का आदेश कर सकता है तथा पूर्व से निर्मित होने की दशा में ऐसी संरचनाओं को छोड़ते हुए रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी वर्तमान में पड़ोसी खातेदार की भूमि से मौके पर चलायमान रास्ते से आवागमन कर रहा है, उचित एवं स्वीकार्य नहीं हैं। क्योंकि प्रथम तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हैं कि मौके पर ऐसे निर्बाध चलायमान रास्ते हैं, जिन्हें पड़ोसी खातेदार अपनी खातेदारी में होने के बावजूद कभी बंद नहीं करेंगे। द्वितीय पड़ोसी खातेदार की मौके पर खाली पड़ी खातेदारी भूमि में से प्रार्थी के आवागमन कर लेने से यह नहीं माना जा सकता

कि प्रार्थी के लिए रास्ता उपलब्ध है अर्थात रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश किसी भी दृष्टि से पुष्टियोग्य नहीं होने से इसे निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/2017 बअनवान डुंगरराम बनाम पुरखा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पत्रावली पर पूर्व से उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार बागोड़ा के पत्रांक 199 दिनांक 08.02.2019 के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक बागोड़ा द्वारा दिनांक 01.02.2019 को तैयार जांच प्रतिवेदन का विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के आधार पर परीक्षण करते हुए विधिनुरूप पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा में दिनांक 01.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.11.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली